



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर चोरी के अभियोग में अभियुक्त को 06 माह 25 दिन के साधारण कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0स0-215/2025 धारा-331(4),305(ए),317(2) बी0एन0एस0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सिविल जज(सी0डि�0) जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अजय उर्फ दिलवर अनुरागी पुत्र अरविन्द अनुरागी नि0 वार्ड नं0 01 लखनापुर कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 06 माह 25 दिन के साधारण कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-पीओ  
विकास



विवेचक-  
संजय कुमार राय



पैरोकार- थाना सुमेरपुर  
का0 प्रेम सिंह